लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 445

जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को दिया जाएगा

प्याज और टमाटर उगाने वाले किसानों को सहायता

445. श्री संजय दीना पाटिल:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या घरेलू बाजार में प्याज और टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को कठिनाई हो रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं कि प्याज और टमाटर के किसानों को उनकी उपज का ईष्टतम मूल्य मिले;
(ग) क्या सरकार ने देश में प्याज और टमाटर उगाने वाले किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार महाराष्ट्र के प्याज और टमाटर किसानों को इस संकट से उबारने के लिए उन्हें कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है;
(ङ) क्या देश में अपर्याप्त और अनुचित भंडारण सुविधाएं और गोदामों की संख्या का अभाव देश में किसानों की पीड़ा का एक प्रमुख कारण है; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) जी, नहीं। घरेलू बाजार में प्याज और टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट नहीं आई है। 19.07.2024 की स्थिति के अनुसार, प्याज और टमाटर के अखिल भारतीय खुदरा मूल्य क्रमशः 44.15 रुपये प्रति किलोग्राम और 72.69 रुपये प्रति किलोग्राम हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) प्याज और आलू जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के भंडारण के लिए नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकना और किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत खेत से लेकर उपभोक्ता तक विकिरण सुविधा सहित एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एकीकृत कोल्ड चेन और संरक्षण अवसंरचना की स्थापना व्यक्तियों, उद्यमियों के समूहों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), गैर सरकारी संगठनों, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा की जा सकती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) स्कीम के तहत नई कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूह, भागीदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) और विपणन बोर्डों और राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध हैं।

****